नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 14/2019 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

तामेश सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर विक्रेता व मालिक मैसर्स अशोक डेयरी भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 24.09.202

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा ए मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 04.10.2019 क प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिना 24.09.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिन 24.09.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया दिनांक 16.10.2018 को गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। व निरीक्षण दुकान में 20 किग्रा0 पोलीपेक में फ्रीज में घी का विक्रय आम जनता

इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 800 ग्राम घी 200/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–594/एक्ट/2018/613 दिनांक 30.10.2018 द्वारा उक्तघी का नमूना अवमानक स्तर (**Sub Standard**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का घी आम जनता को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की उप धारा 2 (ग) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से दूधियों से दूध क्रय करके उसमें से क्रीम निकाल कर घी का निर्माण करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि दूसरी बार सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 16.10.2018 को गैरसायल की दुकान से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित घी का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.10.2018 में अवमानक स्तर (**Sub Standard**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा दूधियों से दूध क्रय करके उसमें से क्रीम निकाल कर घी का निर्माण करना बताया। गैरसायल ने दूसरी बार अनियमितता किया जाना स्वीकार किया है। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 20 किग्रा0 घी ही वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र 20 किग्रा. घी ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाया गया है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 800 ग्राम घी 200/– रूपये में क्रय किया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 20 किग्रा. घी की कीमत मात्र

5000/— रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायल छो स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार क अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता दूसरी बार किया जाना स्वीकार किया गया है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 7/2020 में गैरसायाल को 10000/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/— रूपये (पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 24.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर